



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082023-248171
CG-DL-E-17082023-248171

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478]
No. 478]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2023/श्रावण 26, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2023/SHRAVANA 26, 1945

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 608(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम (दौरे पर कर्मचारियों को दैनिक भत्ता और होटल प्रभार) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (दौरे पर कर्मचारियों को दैनिक भत्ता और होटल प्रभार) संशोधन नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (दौरे पर कर्मचारियों को दैनिक भत्ता और होटल प्रभार) नियम, 1989 में, अनुसूची में, भाग I के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“भाग – I
दैनिक भत्ता
सारणी

क्रम सं.	श्रेणी का नाम	दैनिक भत्ते की दर			
		मेट्रो*शहर	“ए” श्रेणी के शहर	“बी” श्रेणी के शहर	“सी” श्रेणी के शहर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्रेणी I के अधिकारी				
(क)	प्रबंध निदेशक	2700	1950	1650	1425
(ख)	कार्यपालक निदेशक/क्षेत्रीय प्रबंधक	2700	1950	1650	1425
(ग)	उप क्षेत्रीय प्रबंधक/वरिष्ठ मंडल प्रबंधक/मंडल प्रबंधक	2250	1950	1650	1425
2.	सहायक मंडल प्रबंधक/प्रशासनिक अधिकारी/सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1950	1650	1425	1200
3.	श्रेणी II के अधिकारी	1050	1050	900	675
4.	श्रेणी III के अधिकारी				
(क)	उच्च ग्रेड सहायक	1050	1050	900	675
(ख)	श्रेणी III के अन्य कर्मचारी	900	900	780	510
5.	श्रेणी-IV के कर्मचारी	750	750	600	375”

*मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई।

[फा. सं. एस-14014/04/2022-बीमा I]

मुकेश कुमार बंसल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 934(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 1989 में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना सं. सा.का.नि. 322(अ), 10 मार्च, 1992, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 422 (अ), 13 सितंबर, 1996, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 286(अ), 27 अप्रैल, 2004, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 563(अ), 8 सितंबर, 2005, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 932(अ), 1 दिसंबर, 2010 और अधिसूचना सं. सा.का.नि.1136(अ), 14 दिसंबर, 2016 के माध्यम से संशोधन किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2023

G.S.R. 608(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India (Daily Allowance and Hotel Charges to Employees on Tour) Rules, 1989, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Daily Allowance and Hotel Charges to Employees on Tour) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation of India (Daily Allowance and Hotel Charges to Employees on Tour) Rules, 1989, in Schedule, for PART-I the following shall be substituted, namely: -

“PART – I
Daily Allowance

TABLE

Serial No.	Name of Category	Rate of Daily Allowance			
		Metro* City	“A” Class City	“B” Class City	“C” Class City
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Class I Officers				
(a)	Managing Director	2700	1950	1650	1425
(b)	Executive Director / Zonal Manager	2700	1950	1650	1425
(c)	Deputy Zonal Manager / Senior Divisional Manager / Divisional Manager	2250	1950	1650	1425
2.	Assistant Divisional Manager / Administrative Officer / Assistant Administrative Officer	1950	1650	1425	1200
3.	Class II Officers	1050	1050	900	675
4.	Class III Employees				
(a)	Higher Grade Assistant	1050	1050	900	675
(b)	Other Class III Employees	900	900	780	510
5.	Class-IV Employees	750	750	600	375”.

*Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai.

[F. No. S-14014/04/2022-Ins.I]

MUKESH KUMAR BANSAL, Jt. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 934(E), dated the 27th October, 1989 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 322(E), dated the 10th March, 1992, G.S.R. 422(E), dated the 13th September, 1996, G.S.R. 286(E), dated the 27th April, 2004, G.S.R. 563(E), dated the 8th September, 2005, G.S.R. 932 (E), dated the 1st December, 2010 and G.S.R. 1136(E), dated the 14th December, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 609(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम, श्रेणी III और श्रेणी IV कर्मचारीवृन्द (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तों का पुनर्निर्धारण) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी III और श्रेणी IV कर्मचारीवृन्द (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तों का पुनर्निर्धारण) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम उन श्रेणी III कर्मचारियों पर लागू होंगे जो निगम के स्थायी कार्यालय में पूर्णकालिक वेतनभोगी सेवा में रहे हों।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम, श्रेणी III और श्रेणी IV कर्मचारीवृन्द (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तों का पुनर्निर्धारण) नियम, 1985 में, नियम 4 में, उप-नियम (2) में खंड (ख) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(ग) श्रेणी III कर्मचारियों को स्थानापन्न रोकड़िया भत्ता:

नकदी का भुगतान करने तथा प्राप्त करने के लिए श्रेणी-III कर्मचारियों का स्थानापन्न रोकड़िया भत्ता 140 रुपए प्रतिदिन होगा:

परन्तु यह कि उक्त भत्ते की गणना महंगाई भत्ता, भविष्य निधि, उपदान, आवास किराया भत्ता, पेंशन, विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण और प्रोन्नति पर वेतन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ नहीं की जाएगी;”

[फा. सं. एस-14014/04/2022-बीमा I]

मुकेश कुमार बंसल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि.357(अ) तारीख 11 अप्रैल, 1985 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इसमें सा.का.नि.18(अ) तारीख 7 जनवरी, 1986, सा.का.नि.1076(अ) तारीख 11 सितम्बर, 1986, सा.का.नि.961(अ) तारीख 7 दिसम्बर, 1987, सा.का.नि.870(अ) और 873(अ) दोनों तारीख 22 अगस्त, 1988, सा.का.नि.515(अ) तारीख 12 मई, 1989, सा.का.नि.509(अ) तारीख 24 मई, 1990, सा.का.नि.620(अ) तारीख 6 जुलाई, 1990, सा.का.नि.628(अ) तारीख 10 जुलाई, 1990, सा.का.नि.338(अ) तारीख 11 जुलाई, 1991, सा.का.नि.697(अ) तारीख 25 नवम्बर, 1991, सा.का.नि.46(अ) और 47(अ) दोनों तारीख 4 फरवरी, 1993, सा.का.नि.746(अ) तारीख 13 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि.55(अ) तारीख 2 फरवरी, 1994, सा.का.नि.595(अ) तारीख 30 जून, 1995, सा.का.नि.669(अ) तारीख 27 सितम्बर, 1995, सा.का.नि.96(अ) तारीख 16 फरवरी, 1996, सा.का.नि.102(अ) तारीख 22 फरवरी, 1996, सा.का.नि.261(अ) तारीख 22 मई, 1998, सा.का.नि.532(अ) तारीख 27 अगस्त, 1998, सा.का.नि.445(अ) तारीख 18 जून, 1999, सा.का.नि.611(अ) तारीख 30 अगस्त, 1999, सा.का.नि.552(अ) तारीख 22 जून, 2000, सा.का.नि.289(अ) तारीख 27 अप्रैल, 2004, सा.का.नि.561(अ) तारीख 5 सितम्बर, 2005, सा.का.नि.306(अ) तारीख 25 अप्रैल, 2007, सा.का.नि.72(अ) तारीख 6 फरवरी, 2008, सा.का.नि.826(अ) तारीख 8 अक्तूबर, 2010, सा.का.नि.30(अ) तारीख 14 जनवरी, 2016, सा.का.नि.195(अ) तारीख 26 फरवरी, 2016, सा.का.नि.1087(अ) तारीख 24 नवम्बर, 2016, सा.का.नि.404(अ) तारीख 31 मई, 2019 और सा.का.नि.270(अ) तारीख 15 अप्रैल, 2021 के द्वारा संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2023

G.S.R. 609(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, namely: —

1. **Short title, commencement and application.** — (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
 - (3) These rules shall be applicable to those Class III employees who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation.
2. In the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, in rule 4, in sub-rule (2), after clause (B), the following shall be inserted, namely: -

“(C) Officiating Cashier Allowance to Class III employees: —

Officiating Cashier Allowance to Class III employee shall be Rs.140/- per day for paying and receiving cash:

Provided that this allowance shall not count for the purpose of calculation of Dearness Allowance, Provident Fund, Gratuity, House Rent Allowance, Pension, Encashment of Privilege Leave and fixation of salary on promotion;”

[F. No. S-14014/04/2022-Ins.I]

MUKESH KUMAR BANSAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 357(E), dated the 11th April, 1985 and were subsequently amended *vide* G.S.R. 18(E), dated the 7th January, 1986, G.S.R. 1076(E), dated the 11th September, 1986, G.S.R. 961(E),

dated the 7th December, 1987, G.S.R. 870(E) and 873(E), both dated the 22nd August, 1988, G.S.R. 515(E), dated the 12th May, 1989, G.S.R. 509(E), dated the 24th May, 1990, G.S.R. 620(E), dated the 6th July, 1990, G.S.R. 628(E), dated the 10th July, 1990, G.S.R. 338(E), dated the 11th July, 1991, G.S.R. 697(E), dated the 25th November, 1991, G.S.R. 46(E) and 47(E), both dated the 4th February, 1993, G.S.R. 746(E) dated the 13th December, 1993, G.S.R. 55(E), dated the 2nd February, 1994, G.S.R. 595(E) dated the 30th June, 1995, G.S.R. 669(E), dated the 27th September, 1995, G.S.R. 96(E), dated the 16th February, 1996, G.S.R. 102(E), dated the 22nd February, 1996, G.S.R. 261(E), dated the 22nd May, 1998, G.S.R. 532(E), dated the 27th August, 1998, G.S.R. 445(E), dated the 18th June, 1999, G.S.R. 611(E), dated the 30th August, 1999, G.S.R. 552(E), dated the 22nd June, 2000, G.S.R. 289(E), dated the 27th April, 2004, G.S.R. 561(E), dated the 5th September, 2005, G.S.R. 306(E), dated the 25th April, 2007, G.S.R. 72(E), dated the 6th February, 2008, G.S.R. 826(E), dated the 8th October, 2010, G.S.R. 30(E), dated the 14th January, 2016, G.S.R. 195(E), dated the 26th February 2016, G.S.R. 1087(E), dated the 24th November, 2016, G.S.R. 404(E), dated the 31st May, 2019 and G.S.R. 270(E), dated the 15th April, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 610(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम, श्रेणी-I अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तों का पुनर्निर्धारण) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम, श्रेणी-I अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तों का पुनर्निर्धारण) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम उन श्रेणी-I अधिकारियों पर लागू होंगे जो निगम के स्थायी कार्यालय में पूर्णकालिक वेतनभोगी सेवा में रहे हों।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम, श्रेणी-I अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तों का पुनर्निर्धारण) नियम, 1985 में, नियम 7छ के पश्चात निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“7ज – सेटेलाइट कार्यालयों में नकदी का भुगतान करने तथा प्राप्त करने के लिए श्रेणी-I अधिकारी का नकदी रख-रखाव भत्ता 170 रुपए प्रतिदिन होगा:

परन्तु यह कि उक्त भत्ते की गणना महंगाई भत्ता, भविष्य निधि, उपदान, आवास किराया भत्ता, पेंशन, विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण और प्रोन्नति पर वेतन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ नहीं की जाएगी।”

[फा. सं. एस-14014/04/2022-बीमा I]

मुकेश कुमार बंसल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि.794(अ) तारीख 11 अक्टूबर, 1985 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इसमें सा.का.नि.960(अ) तारीख 7 दिसम्बर, 1987, सा.का.नि.493(अ) तारीख 22 अप्रैल, 1988, सा.का.नि.872(अ) तारीख 22 अगस्त, 1988, सा.का.नि.711(अ) तारीख 25 जुलाई, 1989, सा.का.नि.816(अ) तारीख 11 अक्टूबर, 1990, सा.का.नि.324(अ) तारीख 10 मार्च, 1992, सा.का.नि.53(अ) तारीख 2 फरवरी, 1994, सा.का.नि.597(अ) तारीख 30 जून, 1995, सा.का.नि.94(अ) तारीख 16 फरवरी, 1996, सा.का.नि.286(अ) तारीख 18 जुलाई, 1996, सा.का.नि.530(अ) तारीख 27 अगस्त, 1998, सा.का.नि.612(अ) तारीख 30 अगस्त, 1999, सा.का.नि.550(अ) तारीख 22 जून, 2000, सा.का.नि.287(अ) तारीख 27 अप्रैल, 2004, सा.का.नि.559(अ) तारीख 5 सितम्बर, 2005, सा.का.नि.305(अ) तारीख 25 अप्रैल, 2007, सा.का.नि.631(अ) तारीख 2 सितम्बर, 2009, सा.का.नि.824(अ) तारीख 8 अक्टूबर, 2010, सा.का.नि.16(अ) तारीख 8 जनवरी, 2013, सा.का.नि.28(अ) तारीख 14 जनवरी, 2016, सा.का.नि.194(अ) तारीख 26 फरवरी, 2016, सा.का.नि.402(अ) तारीख 31 मई, 2019 और सा.का.नि.268(अ) तारीख 15 अप्रैल, 2021 के द्वारा संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2023

G.S.R. 610(E).— In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India, Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, namely: —

1. Short title, commencement and application. — (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India, Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

(3) These rules shall be applicable to those Class I Officers who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation.

2. In the Life Insurance Corporation of India, Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, after rule 7G, the following shall be inserted, namely: -

“7H. — Cash Handling Allowance to Class I Officer in Satellite Offices shall be Rs.170/- per day for paying and receiving cash:

Provided that this allowance shall not count for the purpose of calculation of Dearness Allowance, Provident Fund, Gratuity, House Rent Allowance, Pension, Encashment of Privilege Leave and fixation of salary on promotion.”

[F. No. S-14014/04/2022-Ins.I]

MUKESH KUMAR BANSAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 794(E), dated the 11th October, 1985 and were subsequently amended *vide* G.S.R. 960(E), dated the 7th December, 1987, G.S.R. 493(E), dated the 22nd April, 1988, G.S.R. 872(E), dated the 22nd August, 1988, G.S.R. 711(E), dated the 25th July, 1989, G.S.R. 816(E), dated the 11th October, 1990, G.S.R. 324(E), dated the 10th March, 1992, G.S.R. 53(E), dated the 2nd February, 1994, G.S.R. 597(E), dated the 30th June, 1995, G.S.R. 94(E), dated the 16th February, 1996, G.S.R. 286(E), dated the 18th July, 1996, G.S.R. 530(E), dated the 27th August, 1998, G.S.R. 612(E), dated the 30th August, 1999, G.S.R. 550(E), dated the 22nd June, 2000, G.S.R. 287(E), dated the 27th April, 2004, G.S.R. 559(E), dated the 5th September, 2005, G.S.R. 305(E), dated the 25th April, 2007, G.S.R. 631(E), dated the 2nd September, 2009, G.S.R. 824(E), dated the 8th October, 2010, G.S.R. 16(E), dated the 8th January, 2013, G.S.R. 28(E), dated the 14th January, 2016, G.S.R. 194(E), dated the 26th February, 2016, G.S.R. 402(E), dated the 31st May, 2019, and G.S.R. 268(E), the dated 15th April, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 611(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उप-धारा (2) के खंड (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) संशोधन नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 में –
 - क. नियम 19 के उप-नियम 2(क) के खंड (ख) के उप-खंड (i) के प्रथम परंतुक में “प्रतिनियुक्ति” शब्द के पश्चात् “विदेशी कार्यालयों में” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;
 - ख. नियम 61 में, उप-नियम (अ) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“शनिवार, रविवार, प्रतिबंधित अवकाश, अवकाश, यदि बीच की अवधि, आरंभ में या अंत में, आते हैं तो उन्हें आकस्मिक छुट्टी में नहीं गिना जाएगा।”

ग. नियम 62 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“62. आकस्मिक अवकाश और प्रतिबंधित अवकाश - (1) किसी कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष के दौरान अधिकतम 12 दिनों की आकस्मिक छुट्टी दी जा सकती है।

(2) नियम 64 के पहले परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अधीन, किसी कर्मचारी द्वारा उपयोग नहीं की गई कोई भी आकस्मिक छुट्टी कैलेंडर वर्ष के अंत में समाप्त हो जाएगी।

(3) आकस्मिक छुट्टी एक बार में 6 दिन से अधिक नहीं ली जा सकती है।

(4) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन अवकाशों के अतिरिक्त वर्ष-दर-वर्ष केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित की जाने वाली प्रतिबंधित अवकाश की सूची में से किसी कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में, अपनी पसंद के अनुसार, दो से अधिक प्रतिबंधित अवकाश, उसके द्वारा संबंधित कैलेंडर वर्ष आरंभ होने के पहले निगम या कंपनी को अपनी पसंद प्रस्तुत करने के अधीन, लेने की अनुमति नहीं होगी;”

घ. नियम 64 में, परंतुकों के स्थान पर निम्नलिखित परंतुकों को रखा जाएगा, अर्थात्: —

“परंतु किसी कर्मचारी को नियम 62 के उप-नियम (1) के अधीन स्वीकार्य और उसके द्वारा नहीं ली गई आकस्मिक छुट्टी को उसकी पूरी सेवा अवधि के दौरान चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर लिए जाने के लिए अधिकतम दो महीने तक पूर्ण वेतन पर या अधिकतम चार महीने तक आधे वेतन पर अतिरिक्त बीमारी की छुट्टी में परिवर्तित किया जाएगा:

परंतु यह भी कि यदि कोई कर्मचारी कैंसर, कुछ रोग, तपेदिक, पक्षाघात, मानसिक बीमारी, ब्रेन ट्यूमर, हृदय संबंधी बीमारियों या गुर्दा संबंधी बड़ी बीमारी से पीड़ित है, उसके पास कोई बीमारी की छुट्टी नहीं है, तो वह आधे वेतन पर विशेष बीमारी की छुट्टी, जिसकी अवधि छः माह से अधिक न हो, ले सकता है।”

[फा. सं. एस-14014/04/2022-बीमा I]

मुकेश कुमार बंसल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में 23 जुलाई, 1960 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और इसमें अंतिम संशोधन 31 जनवरी, 2022 की संख्या सा.का.नि. सं. 58(अ) के माध्यम से किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2023

G.S.R. 611(E).— In exercise of the powers conferred by clause (cc) of sub-section (2) of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Staff) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960, —

(a) in rule 19, in sub-rule 2(A), in clause (b), in sub-clause (i), in the first proviso, after the word “deputation” the words “to overseas offices” shall be inserted;

(b) in rule 61, in clause (j), the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that Saturdays, Sundays, restricted holidays and holidays, whether intervening, prefixed or suffixed, shall not be counted as casual leave.”;

(c) for rule 62, the following shall be substituted, namely: -

“62. Casual Leave and Restricted Holidays. — (1) An employee may be granted casual leave upto a maximum of twelve days during a calendar year.

(2) Subject to the provisions contained in first proviso to rule 64, any casual leave not availed of by an employee shall lapse at the end of the calendar year.

(3) Casual leave can be availed for not more than six days at a time.

(4) In addition to holidays under the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881), an employee may be allowed to avail of not more than two restricted holidays in a calendar year, as per his choice, out of the list of restricted Holidays declared by the Central Government from year to year, subject to such choice of the employee being submitted to the Corporation or Company before commencement of the calendar year concerned.”;

(d) in rule 64, for the provisos the following provisos shall be substituted, namely: —

“Provided that the casual leave admissible to an employee under sub- rule (1) of rule 62 and not availed of by him shall be converted into additional sick leave on full pay upto a maximum of two months or on half pay upto a maximum of four months during the entire period of his service to be availed of by him on medical certificate:

Provided further that if an employee is suffering from any of the major diseases of cancer, leprosy. T.B., paralysis, mental diseases, brain tumor, cardiac ailments or kidney diseases, he may be allowed special sick leave on half pay for a period not exceeding six months if he has to his credit no sick leave admissible to him.”.

[F. No. S-14014/04/2022-Ins.I]

MUKESH KUMAR BANSAL, Jt. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification dated the 23rd July, 1960, and was last amended *vide* number G.S.R No. 58(E) dated the 31st January, 2022.